राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक : 20 OCT 2022

आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

आयुक्त नगर निगम
जयपुर–हैरीटेज/ग्रेटर जयपुर।

विषय :– नाहरगढ़ इकोसेंसटिव जोन व बफर जोन बाउण्ड्री में पट्टा दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– प्रमुख शासन सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक निस/प्रशास/वपवि/2022/179 दिनांक 24.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र में निम्नांकित स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ऐसी गतिविधियां जो प्रतिबंधित नहीं है को ESZ के अंदर कोई भी नया स्थाई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में नए निर्माण पर प्रतिबंध है परन्तु पहले से ही निर्मित भवन के लिए पट्टे देने पर कोई प्रतिबंध स्पष्ट रूप से नहीं अंकित किया हुआ है" इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नाहरगढ़ वन्य अभयारण्य इकोसेंसटिव जोन एवं बफर जोन में पूर्व से निर्मित भवनों का पट्टा दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसका मतलब पुराने निर्मित मकानों का पट्टा जारी किया जावे।

इसी क्रम में प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि नाहरगढ़ वन्य अभयारण्य इकोसेंसटिव जोन एवं बफर जोन में धारा 90–ए के मामलों को छोड़ते हुए रिक्त भूखण्डों के पट्टे दिये जाने से पूर्व आवेदक से निर्माण स्वीकृति नहीं मांगे जाने का शपथ पत्र लिया जाकर पट्टा दिया जा सकेगा। रिक्त भूखण्ड पर नया निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। अतः शपथ पत्र लेकर रिक्त भूखण्ड का भी पट्टा जारी किया जावे तथा उस पर नया निर्माण नहीं होने की भी सुनिश्चितता की जावे।

(डॉ0 जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

CamScanner